पत्र संख्या–303 USDMA -792(2020)TC

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादूनः दिनांकः 26 मार्च, 2020

विषय : **सामाजिक दूरी का अनुपालन कराये जाने के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न जनपदों में अवस्थित सभी रिटेल/फेयर प्राईस शॉप पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उदे्श्य से सम्पूर्ण देश में दिनांक 24 मार्च, 2020 ी मध्य रात्रि से दिनांक 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक 21 दिवसीय लॉकडाउन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में राज्य स्तर पर आम जनमानस को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रातः 7.00 बजे से 10.00 तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में प्रायः सभी स्थानों पर खाद्यान्न क्रय हेतु लोगों की भारी भीड़ के एकत्रित होने से लोगों के मध्य समाजिक दूरी (Social Distancing) के प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है।

उक्त के क्रम में शहरी विकास विभाग द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुये सभी retail/fair price shops पर लोगों के मध्य सामाजिक दूरी निर्धारित किये जाने के दृष्टिगत 01–01 मीटर की दूरी पर चूने की लाइन लगाये जाने तथा निर्धारित दूरी सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव